

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

एस बी आई बनान भवानी सिंह

प्रकरण संख्या 16/2022 (धारा 14 सिविल रिट/आदेशान दउ एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
09.06.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने प्रकरण को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये विद्धो किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः धारा 14 सिविल रिट/आदेशान एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">(राजन विशाल)</p> <p style="text-align: center;">जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	